



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274740
CG-DL-E-23072026-274740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3877]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3877]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4047(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या न्यासों या आयोगों की विनिर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन, निम्न पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथा:-

- (i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला प्रचालन और इसके अंतर्गत जारी कोई आदेश या विधित किया गया कोई कार्य या हुई बात
- (ii) 1961 के अधिनियम या इस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और (1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (नोटिस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ङ) में यह प्रावधान है कि इसके प्रारंभ होने की तारीख को किसी आयकर प्राधिकरण या निरसित आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही को इस तरह से जारी रखा जायेगा और उसका निपटान किया जायेगा जैसे कि इस अधिनियम को अधिनियमित ही न किया गया हो;

अतः अब आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, 'केरल हेडलोड वर्क्स वेलफेयर बोर्ड, कोट्टि' (पैन AAAJK1176F), जो कि केरल राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को इस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) सरकार से सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) केरल हेडलोड वर्क्स एक्ट, 1978 (1980 का 20), केरल हेडलोड वर्क्स नियम 1981 और उसके योजनाओं के तहत वसूल की गई लेवी;
- (ग) लाभार्थियों के रूप में बोर्ड में पंजीकृत सदस्यों से एकत्र किया गया पंजीकरण शुल्क;
- (घ) केरल हेडलोड वर्क्स एक्ट, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के तहत तैयार की गई केरल हेडलोड वर्क्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 27 के अनुसार नियोक्ताओं से जमा के रूप में प्राप्त राशि;
- (ङ) केरल हेडलोड वर्क्स अधिनियम, 1978 (1980 का 20), केरल हेडलोड वर्क्स नियम 1981 और उसके तहत चलने वाली योजना में यथा परिभाषित सदस्यों से योगदान;
- (च) बोर्ड के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज;
- (छ) केरल हेडलोड वर्क्स एक्ट, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के तहत निर्मित केरल हेडलोड वर्क्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 24 (क) और 24 (ख) के अनुसार नियोक्ताओं से मजदूरी के रूप में प्राप्त राशि;
- (ज) तथा उपरोक्त (क) से (छ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि “केरल हेडलोड वर्क्स वेलफेयर बोर्ड, कोच्चि”-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे;

(ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) 1961 के अधिनियम के 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की रिटर्न दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 95/2026/फा. सं. 300196/78/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण- ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4047(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

- (i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed

Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, "Kerala Headload Workers Welfare Board, Kochi (PAN AAJK1176F)", a board constituted by the State Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to that board, namely:-

- (a) Amount received in the form of grants-in-aid and loan from Government;
- (b) Levy collected under the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980), Kerala Headload Workers rules 1981 and schemes there under;
- (c) Registration fees collected from members registered with the board as beneficiaries;
- (d) Sums received as deposit from employers as per Para 27 of Kerala Headload Workers (regulation of employment and welfare) Scheme 1983 formulated under section 13 of the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980);
- (e) Contribution from the members as defined in the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980), Kerala Headload Workers Rules 1981 and Scheme there under;
- (f) Interest on loans and advances given to staff of the board and workers;
- (g) Sums received as wages from employers as per Para 24(a) and 24(b) of Kerala Headload Workers (Regulation of employment and welfare) Scheme 1983 formulated under section 13 of the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980); and
- (h) Interest earned on (a) to (g) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Kerala Headload Workers Welfare Board, Kochi—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provisions of 139(4C)(g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted u/s 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2025-26 and 2026-27 relevant to the financial years 2024-25 and 2025-26.

[Notification No. 95/2026/F. No.300196/78/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of its application filed before the Central Board of Direct Tax or Income-tax Department] to this notification.